रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 फरवरी, 1985/13 माघ, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 1985

क्रमांक एल0 एल0 आर0-डी0 (6) 32/84.—हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 23) जैसा कि राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत दिनांक 3 दिसम्बर, 1984 को अनुमोदित किया गया, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) द्वारा अपेक्षित उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ

288-राजपत्र/85-2-2-85—1,200.

मूल्य : 20 पैसे।

सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 1984 का अधिनियम संख्यांक 30 के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

के0 सी0 सूद,
सचिव ।

1984 का अधिनियम संख्यांक 30.

हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984

(राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 1984 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रभावकारी अग्नि शमन सेवा के अनुरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1984 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह राज्य में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "निदेशक" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त निदेशक, अग्नि शमन सेवा अभिप्रेत है ;

(ख) "अग्नि शमन सम्पति" के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) दमकल केन्द्र के रूप में प्रयुक्त भूमि और भवन ;

(ii) अग्नि शमन इंजन, उपस्कर, औज़ार, उपकरण और अग्नि शमन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं ;

(iii) अग्नि शमन के सम्बन्ध में प्रयोग किए जाने वाले मोटर-यान या परिवहन के अन्य साधन ; और

(iv) वर्दियां और रैंक के बैज ;

(ग) "दमकल केन्द्र" से निदेशक द्वारा साधारण या विशेष रूप से दमकल केन्द्र के रूप में घोषित कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है ;

(घ) "सेवा" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा अभिप्रेत है ;

(ङ) "दमकल केन्द्र का प्रभारी अधिकारी" से दमकल केन्द्र, उप-दमकल केन्द्र या अग्नि शमन चौकी का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे का और यथास्थिति, उस दमकल केन्द्र, उप-दमकल केन्द्र या अग्नि शमन चौकी में उपस्थित अग्नि शमन अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(छ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण

अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य के उन क्षेत्रों में जहां पर यह अधिनियम प्रवृत्त है, राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अग्नि शमन सेवा कहलाई जाने वाली अग्नि शमन सेवा का अनुरक्षण किया जायेगा।

अग्नि शमन सेवा के निदेशक की नियुक्ति।

4. राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अग्नि शमन सेवा का निदेशक नियुक्त करेगी।

सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण।

5. (1) सेवा का अधीक्षण और नियन्त्रण निदेशक में निहित होगा और वह इसका निष्पादन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

(2) राज्य सरकार निदेशक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे अधिकारी, जैसे वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी।

सेवा के सदस्यों की नियुक्ति।

6. निदेशक या सेवा का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सेवा के सदस्य नियुक्त करेगा।

सहायक अग्नि शमन सेवा।

7. जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्नि शमन सेवाओं का संवर्धन करना आवश्यक है, तो वह ऐसी संख्या में और ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों पर जैसी विहित की जाएं, स्वयं सेवकों की भर्ती करके उनको प्रशिक्षण देकर सहायक अग्नि शमन सेवा बना सकती है।

आग लगने पर सेवा के सदस्यों की शक्तियां।

8. ऐसे किसी क्षेत्र में, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, आग लगने पर अग्नि शमन सेवा का कोई सदस्य, जो अग्नि शमन सेवा संक्रिया का मौके पर प्रभारी है—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी उपस्थिति से आग बुझाने के कार्य में या जान व माल को बचाने में दखल देता है या रुकावट डालता है, वहां से हटा सकेगा या सेवा के किसी अन्य सदस्य को ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाने का आदेश दे सकेगा;

(ख) किसी ऐसे मार्ग या रास्ते को जिस में या जिस के निकट आग लगी हो, बन्द कर सकेगा;

(ग) आग बुझाने के प्रयोजन के लिए हौज, नली या साधित्र ले जाने के लिए यथासंभव कम से कम नुकसान पहुंचा कर किसी परिसर को तोड़ या तुड़वा कर घुस सकता है, या गिरा या गिरवा सकता है;

(घ) आग बुझाने या उसके फैलाव को कम करने के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र के जल-आपूर्ति के प्रभारी अधिकारी से पानी के मुख्य नल को विनियमित

करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे उस स्थान पर जहां आग लग गई हो विनिर्दिष्ट दबाव पर पानी की व्यवस्था की जा सके और इस प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक या प्राईवेट स्त्रोत, टंकी, कुएं या तालाब या पानी के अन्य उपलब्ध स्त्रोत से पानी का उपयोग कर सकेगा;

(ङ) अग्नि शमन सेवा कार्यों में बाधा डालने वाले सम्भावित व्यक्तियों के जमाव को तितर-बितर करने के लिए वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा मानो वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो और यदि ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव है तो वह वैसी ही छूट एवं संरक्षण का हकदार होगा जैसा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी होता है ; और

(च) साधारणतया ऐसे उपाय कर सकेगा जो उस क्षेत्र में आग बुझाने के लिए अथवा जान व माल की सुरक्षा के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

निवारक उपाय ।

9. (1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र में परिसरों या किसी वर्ग के परिसरों के जो ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जो इसकी राय में आग का खतरा पैदा कर सकते हैं, स्वामियों अथवा अधिभोगियों से ऐसी सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां उप-धारा (1) के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहां निदेशक, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सेवा के किसी अधिकारी के लिये विधि-सम्मत होगा कि वह आग का खतरा पैदा करने वाले संभावित पदार्थों अथवा वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसा न करने पर निदेशक अथवा ऐसा अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी को अभ्यावेदन देने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे पदार्थों अथवा वस्तुओं को जब्त, निरुद्ध या हटा सकेगा ।

शास्तियां

कर्तव्य आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

10. सेवा का कोई सदस्य जो—

(क) अपने कर्त्तव्य का उल्लंघन करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेशों के किसी उपबन्ध को जान-बूझकर भंग करने का दोषी पाया जाएगा; या

(ख) भीरुता का दोषी पाया जाएगा; या

(ग) अनुज्ञा के बिना या कम से कम दो मास का पूर्व नोटिस दिये बिना अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों से हट जाएगा; या

(घ) छुट्टी पर होने के कारण बिना उपयुक्त कारण से ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर ड्युटी पर उपस्थित होने में असफल रहेगा; या

(ङ) अनुज्ञा के बिना कोई अन्य नियोजन या पद स्वीकार करेगा

वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो ऐसे व्यक्ति के तीन मास के वेतन से अधिक का न हो, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अग्निशमन कार्यों में जान-बूझकर बाधा डालना।

11. कोई व्यक्ति जो सेवा के किसी ऐसे सदस्य के कार्य में जो अग्निशमन कार्यों में कार्यरत हो बाधा डालेगा या हस्ताक्षेप करेगा या धारा 14 के अधीन सूचना देने में उपेक्षा करेगा वह ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

मिथ्या रिपोर्ट ।

12. कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर आग लगने की मिथ्या रिपोर्ट, अपने कथन, संदेश द्वारा या अन्यथा ऐसे व्यक्ति को देगा या दिलवाएगा जो ऐसी रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिये अधिकृत हो वह सादा कारावास से जो दो मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

साधारण और प्रकीर्ण

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन ।

13. राज्य सरकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह सेवा के सदस्यों को किसी ऐसे बचाव या अन्य कार्य के लिये, जिसके लिये वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण योग्य हो, नियोजित करें ।

जानकारी प्राप्त करने की शक्ति ।

14. सेवा का कोई अधिकारी, जो किसी अग्नि शमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो, अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन के लिए किसी भवन या अन्य सम्पति के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वरूप उपलब्ध जल-आपूर्ति तथा उस तक पहुंच के साधन तथा अन्य तात्विक विशिष्टियों, की जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अधिभोगी, वह सभी जानकारी जो उसके पास हो, देगा ।

प्रवेश की शक्ति ।

15. निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सेवा का कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान में जो धारा 9 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट है यह जानने के लिये कि क्या अग्नि सम्बन्धी सावधानियां जो ऐसे स्थानों पर अपेक्षित हैं की जा रही है, प्रवेश कर सकेगा ।

जल का प्रयोग ।

16. सेवा के सदस्यों द्वारा अग्नि शमन कार्यों में प्रयुक्त जल के लिये स्थानीय प्राधिकारी, प्राईवेट या सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

जल आपूर्ति में अवरोध के लिये प्रतिकर का न दिया जाना ।

17. किसी क्षेत्र में, पानी की आपूर्ति का भारसाधक कोई अधिकारी पानी की आपूर्ति में ऐसे किसी व्यवधान के लिए, जो धारा 8 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की ऐसे प्राधिकार के केवल अनुपालन के कारण हुई हो, क्षति के दावे के लिए दायी नहीं होगा ।

पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता ।

18. सभी पंक्ति के पुलिस अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा के सदस्यों की उन के कार्य निष्पादन में सहायता करें।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण ।

19. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक-कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

20. (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध किया

जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) सेवा के सदस्यों की नियुक्ति की रीति;

(ख) सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत उनकी पंक्ति, वेतन और भत्ते, कार्य के घंटे और छुट्टी, अनुशासन को बनाये रखना तथा सेवा से हटाना भी है ;

(ग) वे शर्तें जिन के अधीन सेवा के सदस्य और उपस्कर उन के क्षेत्राधिकार के बाहर के क्षेत्रों में कार्य करने के लिये भेजे जा सकेंगे ;

(घ) वे शर्तें जिन के अधीन सेवा के सदस्य बचाव या अन्य कार्य के लिये नियोजित किये जा सकेंगे ;

(ङ) अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील करने की रीति ;

(च) उन व्यक्तियों को जो सेवा के सदस्य नहीं हैं और अग्नि शमन के प्रयोजन के लिये कार्य करते हैं, पुरस्कार तथा पारिश्रमिक का संदाय ;

(छ) दुर्घटनाओं की स्थिति में सेवा के सदस्यों को देय मुआवजा या काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को देय मुआवजा;

(ज) क्षेत्र के बाहर विशेष सेवाओं पर सेवा के सदस्यों के नियोजन या किसी उपस्कर के उपयोग और उनके लिये देय फीस ;

(झ) सेवा के सदस्यों के लिये बर्दियां ;

(ञ) अग्नि शमन सेवा के सदस्यों के लिये वास सुविधा; और

(ट) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित की जानी है या की जाये ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिस में वह इस प्रकार या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

21. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई विधि या नियम प्रवृत्त हो जो इस अधिनियम की तत्स्थानी है तो ऐसी तत्स्थानी विधि जहां तक वह ऐसे मामले से सम्बन्धित है जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, उस तारीख से निरसित हो जायेगी :

परन्तु ऐसे निरसन के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी के निम्नलिखित से सम्बन्धित साधारण उत्तरदायित्व को परिसीमित, संशोधित या कम करता है—

(क) अग्नि शमन के प्रयोजनों के लिये ऐसी जल आपूर्ति और अग्नि जल नलों की व्यवस्था करना तथा अनुरक्षण करना जैसे कि राज्य सरकार, समय-समय, पर निर्दिष्ट करे;

(ख) संकटपूर्ण व्यवसायों के विनियमन के लिये उप-नियम बनाना;

(ग) सेवा के किसी सदस्य द्वारा जब उचित ढंग से ऐसा करने को कहा जाये तो अपने कर्मचारियों में से किसी को अग्नि शमन में सहायता प्रदान करने के लिये आदेश देना; और

(घ) साधारणतया ऐसे उपाय करना जो आग लगने की सम्भावना को कम करें या आग को फैलने से रोकें ।

Act No. 30 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH FIRE FIGHTING SERVICES ACT, 1984

(ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON THE 3RD DECEMBER, 1984)

AN

ACT

to provide for the maintenance of effective fire fighting service in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Act, 1984.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force in the State, on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas and different provisions of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Director" means the Director of Fire-services appointed under section 4 of this Act;

(*b*) "fire fighting property" includes—

(*i*) lands and buildings used as fire stations,
(*ii*) fire engines, equipments, tools, implements and other items used for fire fighting,
(*iii*) motor vehicles and other means of transport used in connection with fire-fighting, and
(*iv*) uniforms and badges of ranks;

(*c*) "fire stations" means any post or place declared, generally or specially by the Director to be firestation;

(*d*) "service" means the Himachal Pradesh Fire Service maintained under this Act;

(*e*) "officer-in-charge of a fire station" means officer-in-charge of a fire station, sub-fire station or a fire post and in his absence includes the fire officer who is next in rank to such officer and is present at such fire station, sub-fire station, or a fire post, as the case may be;

(*f*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(*g*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

MAINTENANCE OF FIRE SERVICE

Maintenance of Fire Service.

3. There shall be maintained by the State Government a fire service to be called the Himachal Pradesh Fire Service for those areas of the State of Himachal Pradesh in which this Act is in force.

4. The State Government may appoint a person to be the Director of Fire Service. Appointment of Director for Fire Service.

5. (1) The superintendence and control of the service shall vest in the Director and shall be carried on by him in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder. Superintendence and control of service.

(2) The State Government may appoint such officers as it may deem fit to assist the Director in the discharge of his duties.

6. The Director or such other officer of the service as the State Government may authorise in this behalf shall appoint members of the service in accordance with the rules made under the Act. Appointment of members of the service.

7. Whenever it appears to the State Government that it is necessary to augment the fire service, it may raise an auxiliary fire service by enrolment and training of volunteers, in such number and in such areas, as it may deem fit, on such terms and conditions as may be prescribed. Auxiliary fire service.

8. On the occasion of fire in any area in which this Act is in force, any member of the fire service, who is in-charge of fire-fighting operations on the spot, may— Powers of members of the service on occasion of fire.

(*a*) remove, or order any other member of the service to remove, any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing the fire or for saving life or property;

(*b*) close any street or passage in or near-which a fire is burning;

(*c*) for the purpose of extinguishing fire, break into or through or pull down any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible;

(*d*) require the authority in-charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilise the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire;

(*e*) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the fire-fighting operations as if he were an officer-in-charge of a police station and as such if such an assembly were an unlawful assembly and shall be entitled to the same immunities and protection as such an officer has in respect of the exercise of such powers;

(*f*) generally take such measures as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life or property in that area.

9. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, require owners or occupiers of premises in any area or of any class of premises used for the purpose which in its opinion are likely to cause risk of fire, to take such precautions as may be specified in such notification. Preventive measures.

(2) Where a notification has been issued under sub-section (1), it shall be lawful for the Director or any officer of the service authorised by the State Government in this behalf to direct the removal of objects or goods likely to cause a risk of fire, to a place of safety; and on failure of the owner or occupier to do so, the Director or such officer may, after giving the owner or occupier a reasonable opportunity of making representation, seize, detain or remove such objects or goods.

PENALTIES

Penalty for violation of duty etc.

10. Any member of the service who—

(*a*) is found to be guilty of any violation of duty or wilful breach of any provision of this Act or any rule or order made thereunder; or

(*b*) is found to be guilty of cowardice; or

(*c*) withdraws from the duties of his office without permission or without having given previous notice of at least two months; or

(*d*) being on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on the expiration of such leave; or

(*e*) accepts any other employment or office, without permission;

shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to an amount not exceeding three months pay of such a person, or with both.

Wilfully obstructing fire-fighting operations.

11. Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the service who is engaged in fire-fighting operations or neglects to furnish the information under section 14 shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

False report.

12. Any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the out-break of a fire to any person authorised to receive such report by means of a statement, message or otherwise shall be punishable with a simple imprisonment which may extend to two months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

GENERAL AND MISCELLANEOUS

Employment on other duties.

13. It shall be lawful for the State Government or any officer authorised by it in this behalf to employ the service in any rescue, salvage or other work for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.

Power to obtain information.

14. Any officer of the service not below the rank of officer-in-charge of a fire station may for the purpose of discharging his duties under the Act require the owner or occupier of any building or other property to supply information with respect to the character of such building or other property, the available water supplies, means of access thereto and other material particulars and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession.

Power of entry.

15. The Director or any member of the service authorised by him in this behalf may enter any of the places specified in any notification issued under section 9 for the purpose of determining whether precautions against fire required to be taken on such places have been so taken.

16. No charge shall be made by any local authority private or public institution, or individual for water consumed in fire fighting operations by the service. Consumption of water.

17. No authority-in-charge of water supply in an area shall be liable to any claim for compensation for damage by reason of any interruption of supply of water occasioned only by compliance of such authority with the requirement specified in clause (*d*) of section 8. No compensation for interruption of water supply.

18. It shall be the duty of police officers of all ranks to aid the members of the service in the performance of their duties under this Act. Police officers to aid.

19. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith, or intended to be done, in pursuance of this Act, rule or order made thereunder. Idemnity.

20. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the matters, namely:—

(*a*) the manner of appointment of members of the service;

(*b*) the conditions of service of the members of the service including their ranks, pay and allowances, hours of duty and leave, maintenance of discipline and removal from service;

(*c*) the conditions, subject to which members of the service and equipment may be despatched to perform service in areas outside their jurisdiction;

(*d*) the conditions subject to which members of the service may be employed on rescue, salvage or other work;

(*e*) the manner of service of notices under the Act;

(*f*) the payment of rewards and remuneration to persons not being members of the service who render service for fire-fighting purpose;

(*g*) the compensation payable to members of the service in case of accidents or to their dependants in case of death while engaged on duty;

(*h*) for the employment of members of the service or use of any equipment outside the area on special services and the fee payable therefor;

(*i*) uniforms for the members of the service;

(*j*) accommodation for the members of the service; and

(*k*) any other matter which is to be or may be prescribed under the Act.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect,

as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done under that rule.

Repeal and savings.

21. If immediately before the day on which this Act comes into force, there is in force in that area any law or rule having the force of law which corresponds to this Act, such corresponding law in so far as it relates to any matter for which provision has been made in this Act shall on that day stand repealed:

Provided that such repeal shall not be deemed to limit, modify or derogate from the general responsibility of any local authority,—

(*a*) to provide and maintain such water supply and fire hydrants for fire-fighting purposes as may be directed by the State Government from time to time;

(*b*) to frame bye-laws for the regulation of dangerous trades;

(*c*) to order any of its employees to render aid in fighting a fire when reasonably called upon to do so by any member of the service; and

(*d*) generally to make such measures as will lessen the likelihood of fires or preventing the spread of fires.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्ट्रेड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 4 फरवरी, 1985/15 माघ, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 4th February*, 1985

No. Plg. (B)2-9/79.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accept the resignation of Shri Kaul Singh Thakur, ex-M. L. A. from the post of Deputy Chairman, Himachal Pradesh State Planning Board with effect from the 4th Febr..ary, 1985 (Afternoon).

B. B. TANDON,
Commissioner-cum-*Secretary*.

295-राजपत्र/85-4-2-85—1,165.

मूल्य: 20 पैसे।